यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, रुड़की हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

कार्यालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, रुड़की हरिद्वार के माह 12/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के.एस. चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांकः 27.01.2021 से 02.02.2021 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग-I</u>

परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांकः 22.12.2017 से 27.12.2017 तक श्री पी. सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमे माह 01/2014 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

1. वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखो की जाँच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: रुड़की

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है -

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना				अवशेष	
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैरस्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत
2017-18	-	-	769.30	763.92	14.92	14.03	-	5.38	-	0.89
2018-19	-	-	873.00	777.62	17.46	16.93	-	95.38	-	0.53
2019-20	-	-	815.35	815.35	12.17	11.48	-	-	-	0.68
2020-21 (12/2020)	-	-	626.10	626.10	19.80	09.52	-	-	-	10.28

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थितिः लागू नहीं।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

विभाग का संगठनात्मक ढांचाः-

प्रमुख सचिव (राजस्व)
आयुक्त चकबंदी राजस्व परिषद
जिला उप संचालक चकबंदी
बंदोबस्त अधिकारी
सहायक चकबंदी अधिकारी
चकबंदी कर्ता
चकबंदी लेखपाल

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में लेनदेन, अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, रुड़की हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2019 एवं 07/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

---------शून्य--------

भाग दो (ब)

प्रस्तर 01:- चकबंदी व्यय रु० 275520.00 की धनराशि की वसूली लम्बित रहना।

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली के परिशिष्ट 15 के नियम 359 के अनुसार वे सभी काश्तकार जिनकी भूमि संहत होती है, चाहे वे बड़े काश्तकार हो या छोटे, चकबंदी से प्रभावित समझे जाएंगे और उनसे चकबंदी का व्यय वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली के परिशिष्ट 15 के नियम 362 के अनुसार चकबंदी के एवज मे रु० 12.80 प्रति एकड़ की दर से धनराशि वसूल की जाती है एवं जो आयातीकरण से प्रभावित है उनसे रु०1.20 प्रति एकड़ तथा अन्य सभी से रु० 2.00 प्रति एकड़ की दर से वसूल किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली, 1954 की धारा 61(1) चकबंदी क्रियाओं के व्यय हेतु जमाबंदी जोत चकबंदी आकार पत्र 27 में जमाबंदी लेखपाल द्वारा तैयार की जाएगी।
उपर्युक्त से संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत काश्तकारों/ खाताधारकों से दिसम्बर 2020 तक रु० 275520.00 की धनराशि वसूली हेतु अवशेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	**तहसील का नाम**	**वसूली हेतु कुल धराशि**	**वसूली गयी धनराशि**	**वसूली हेतु अवशेष धनराशि**
1	हरिद्वार	115235.00	13873.00	101362.00
2	लक्सर	49144.00	9784.00	39360.00
3	रुड़की	433150.00	323837.00	109313.00
4	भगवानपुर	25485.00	-	25485.00
	योग	**623014.00**	**347494.00**	**275520.00**

उपर्युक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने उत्तर दिया कि वसूली हेतु धनराशि विगत पाँच वर्षों से लम्बित है। वसूली हेतु तहसील रुड़की को सूचना प्रेषित की गयी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय को यह तक पता नहीं था कि उक्त धनराशि किससे वसूल करनी है क्योंकि उनके पास उन लोगों का कोई विवरण नहीं था जिनसे धनराशि वसूल की जानी थी। इस प्रकार कार्यालय द्वारा अवशेष धनराशि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही नहीं की गयी थी।
अत: लम्बित वसूली का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को भवन का किराया ₹7.69 लाख की धनराशि का भुगतान लम्बित रहना।

बर्फ खाना कालोनी स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के भवन /कार्यालय शेड को चकबंदी अधिकारी रुड़की को कार्यालय संचालन हेतु वर्ष 2002 मे किराये पर आबंटित किया गया था। बर्फ खाना कालोनी स्थित शेड कार्यालय का क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर है जिसके किराये की दर रु० 20.00 प्रति वर्गमीटर की दर से रु० 4800.00 निर्धारित की गयी थी। जिसे जून 2014 से पुनरीक्षित कर रु 9600/ कर दिया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि इकाई के विरुद्ध सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का भवन किराया दिसम्बर 2019 तक ₹883595 भुगतान हेतु लम्बित था। दिसम्बर 2020 तक कुल ₹998795 की धनराशि भुगतान हेतु लम्बित थी तथा वर्ष 2020 में कुल ₹2,30,000 का भुगतान किया गया था। अतः लेखापरीक्षा तिथि तक कुल ₹768795 की किराये की धनराशि भुगतान हेतु लंबित थी। विवरण निम्न प्रकार हैः

क्रम संख्या	**अवधि**	**भुगतान हेतु लंबित धनराशि (रू. में)**
1	दिसम्बर 2019 तक	8,83,595
2	दिसम्बर 2020 तक (12x9600)	1,15,200
3	योग	9,98,795
4	कुल भुगतान	2,30,000
5	अवशेष	7,68,795

उपर्युक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने उत्तर दिया कि जून 2014 से किराया भुगतान नहीं किया गया है। इकाई का उत्तर संतोष जनक नहीं है क्योंकि इकाई को किराया मद मे लगातार वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक बजट प्राप्त हुआ है परंतु इकाई ने केवल गैर सरकारी भवनों के किराये का भुगतान किया। जिस कारण सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश भुगतान हेतु धनराशि लम्बित रही।
अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग दो (ब) प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या
37/2013-14	शून्य	01	शून्य
73/2006-07	शून्य	1,2,3	शून्य

भाग IV

(शून्य)

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, रुड़की हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमिततायें: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री दीवान सिंह नेगी	बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी	18.11.2015	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, रुड़की हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-III को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III